

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री ओमवीर शर्मा पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी अरूवा तह कठूमर जिला अलवर (राज0)।

-----सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना-पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :- 01.11.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि खाता संख्या 77 वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम औमप्रकाश उर्फ औमवीर पुत्र श्री रामकिशन जाति ब्राह्मण दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम ओमवीर शर्मा पुत्र श्री रामकिशन है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम औमप्रकाश उर्फ औमवीर के स्थान पर ओमवीर शर्मा दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत अरूवा की रिपोर्ट को पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम औमप्रकाश उर्फ औमवीर के स्थान पर ओमवीर शर्मा दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर  
की गई अनुशंसा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, स्वयं के आधार कार्ड से  
खाता संख्या 77 वाके अरूवा तहसील कठूमर में औमप्रकाश उर्फ औमवीर के स्थान पर ओमवीर  
शर्मा दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136  
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956  
स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 77 वाके ग्राम अरूवा तहसील कठूमर में औमप्रकाश उर्फ  
औमवीर के स्थान पर ओमवीर शर्मा दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये  
जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर  
को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चैतीवाल)  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)